

प्रेषक,

अतुल चौधरी,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बरेली।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा :

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
बरेली।

विषय : बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा विकसित की जा रही रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर-2, गंगा इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0 16 श्रेणी "ए" क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर के आवंटन के संबंध में।

माननीय महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्त उपक्रम बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली की रामगंगा नगर आवासीय योजना (सेक्टर-2), गंगा इंकलेव, डोहरा रोड, बरेली में एक प्लॉट आवंटित किये जाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसके लिये अद्योहस्ताक्षरी ने चालान सं0/पंजीकरण सं0 1015 दिनांकित 25.06.21 द्वारा पंजीकरण धनराशि मु0 3,72,600/-रुपये बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में जमा कर दी थी। (पंजीकरण पुस्तिका, पंजीकरण रसीद व बैंक चालान रसीद की छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्न है)

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली ने आयोजित की गयी प्रक्रिया के तहत अद्योहस्ताक्षरी को आवंटन पत्र सं0 25/का.ब.वि.प्रा./स. अनु.-2021-22 दि0 14.07.21 द्वारा सूचित कर रामगंगा नगर आवासीय योजना (सेक्टर-2) में श्रेणी "ए" क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किया। (आवंटन पत्र की छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्न है)

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के उक्त आवंटित भूखण्ड की अनुमानित मूल्य 37,26,000/-रुपये है। आवंटन पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्तर्गत आवंटन धनराशि प्राधिकरण के कोष में जमा किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। आवंटन धनराशि मु0 5,58,900/-रुपये थी, जिसे अद्योहस्ताक्षरी ने प्राधिकरण के कोष में निर्धारित समयावधि दिनांकित 09.08.21 को जमा कर दिया। (आवंटन धनराशि जमा करने की बैंक रसीद की

छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्न है) आवंटित प्लॉट की अवशेष धनराशि आठ त्रैमासिक किस्तों में बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में जमा की जानी है। प्रथम किस्त माह सितम्बर 2021 में देय थी और प्रत्येक त्रैमासिक किस्त की धनराशि मु० 3,89,750/-रूपये है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अपने पिताजी के सहयोग से प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त मु० 3,89,750/-रूपये बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में जमा करा दी है। (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की बैंक रसीद सादर अवलोकनार्थ संलग्न है)

आवंटित भूखण्ड के संबंध में पूर्ण जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं० 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13.07.98 के अनुपालन में इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

1. नियुक्ति की तिथि- 18.04.2009
2. वर्तमान कुल वेतन- 1,56,542/-रूपये  
वास्तविक प्राप्त वेतन- 1,00,551/-रूपये
3. सेवा में आने के उपरान्त मु० 10,000/-रूपये से अधिक मूल्य की चल व अचल सम्पत्ति कय करने का विवरण- सेवा में आने के उपरान्त वांछित सूचना पूर्व में निर्धारित प्रारूप पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद भेजी जा चुकी है।
4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया ऋण- लागू नहीं।
5. बैंक द्वारा लिया गया ऋण- लागू नहीं।
6. यदि पुरानी कार खरीदी गई तो विवरण- लागू नहीं।
7. सम्पत्ति का विवरण- आवंटित सम्पत्ति, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के रामगंगा नगर अवासीय योजना सेक्टर-2, गंगा इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं० 16 श्रेणी "ए" क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर है।

प्लाट का क्षेत्रफल—

रामगंगा नगर आवासीय योजना  
सेक्टर—2, गंगा इन्क्लेव में स्थित  
भूखण्ड सं० 16 श्रेणी "ए" क्षेत्रफल  
162 वर्ग मीटर।

शहर व जिला—

रामगंगा नगर आवासीय योजना,  
बरेली।

यदि इमारत है तो उसका आकार—

लागू नहीं।

9. विक्रेता/डीलर का नाम—पता—

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली,  
उत्तर प्रदेश सरकार का स्वायत्त  
उपक्रम एवं उसके अधीन है।

10. क्या डीलर नियमित एवं अधिकृत है—

जी हाँ, बरेली विकास प्राधिकरण,  
बरेली, उत्तर प्रदेश सरकार का  
स्वायत्त उपक्रम एवं उसके अधीन  
है।

11. क्या न्यायिक अधिकारी डीलर से  
संबंधित है—

नहीं।

12. क्रय किये जाने में प्रयुक्त  
धनराशि का श्रोत एवं संबंधित  
अभिलेख।

उपरोक्त आवंटित भूखण्ड सं० 16  
क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर की कुल  
अनुमानित मूल्य मु० 37,26,000/—  
रूपये है, जिसमें अद्योहस्ताक्षरी ने  
पंजीकरण धनराशि, आवंटन  
धनराशि, व तीन त्रैमासिक किश्त,  
जिनका विवरण पूर्व में उल्लिखित  
किया गया है, प्राधिकरण के कोष  
में जमा कर दी है। अद्योहस्ताक्षरी  
द्वारा उक्त भूखण्ड/प्लाट को क्रय  
करने में प्रयुक्त धनराशि का श्रोत  
वेतन से प्राप्त आय है। साथ ही  
साथ अद्योहस्ताक्षरी के पिताजी श्री  
महेन्द्र प्रताप चौधरी, जो सेवा  
निवृत्त सरकारी अधिकारी और  
वर्तमान में अधिवक्ता के तौर पर  
वकालत कर रहे हैं, भी अपनी  
बचत, पेंशन से आवंटित भूखण्ड  
को क्रय करने में अद्योहस्ताक्षरी का  
सहयोग किया है। आवंटित भूखण्ड

के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा  
सरकारी बैंक से ऋण भी लिया  
जायेगा है, उसकी सूचना माननीय  
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को  
सादर प्रेषित की जायेगी।

सूचना माननीय महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु  
सादर प्रेषित की जा रही है, जिसे स्वीकार करने की महती कृपा करें।  
सादर सहित,

भवदीय



(अतुल चौधरी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बरेली

दिनांक-30.03.22

संलग्नक-

1. बरेली विकास प्राधिकरण के रामगंगा नगर आवासीय योजना से संबंधित पंजीकरण पुस्तिका की छायाप्रति।
2. बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत आवंटन पत्र दिनांकित 14.07.2021 की छाया प्रति।
3. आवंटित प्लॉट/भूखण्ड के पंजीकरण धनराशि की बैंक जमा रसीद व चालान संख्या 1015 दिनांकित 25.06.21 की छाया प्रति।
4. आवंटित प्लॉट के संबंध में प्राधिकरण में कोष में जमा की गयी आवंटन धनराशि की बैंक रसीद दिनांकित 09.08.21 की छाया प्रति।
5. बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में आवंटित भूखण्ड के बावत जमा की गयी प्रथम त्रैमासिक किस्त की चालान रसीद दिनांकित 24.09.21 की छाया प्रति।
6. बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में आवंटित भूखण्ड के बावत जमा की गयी द्वितीय त्रैमासिक किस्त की चालान रसीद दिनांकित 20.12.21 की छाया प्रति।
7. बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में आवंटित भूखण्ड के बावत जमा की गयी तृतीय त्रैमासिक किस्त की चालान रसीद दिनांकित 25.03.22 की छाया प्रति।

8. अद्योहस्ताक्षरी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में पोषित वेतन बचत खाता सं० 20058661374 के वित्तीय वर्ष 2021-2022 के पूर्ण विवरण की छायाप्रति ।

9. अद्योहस्ताक्षरी के आई सी आई सी आई में पोषित बचत खाता सं० 021401521820 के वित्तीय वर्ष 2021-2022 के पूर्ण विवरण की छायाप्रति ।

.....